भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 520
सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

520. **श्री सुनील बाबूराव मेंढेः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान श्रम हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का महाराष्ट्र सहित वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन नामक दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता, केवल एनसीएस योजना के तहत प्रदान की जाती है। एनसीएस योजना के तहत, आदर्श करियर केंद्र की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रस्तावों के तहत धनराशि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनसीएस योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र सहित) को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र सहित) को जारी की गई धनराशि	2595.12	896.72	41.30	2338.76
महाराष्ट्र को जारी धनराशि	384.74	-	-	246.60

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 9.27 लाख उम्मीदवारों को करियर परामर्श/व्यावसायिक मार्गदर्शन/आत्मविश्वास निर्माण/भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। यह कार्य राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया गया है।

*****